

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 13.12.2018

अधिसूचना

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप-जिलों के गठन तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण करने के संबंध में पूर्व में जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(17)वित्त/कर/2010-73 दिनांक 04.10.2013, समय-समय पर यथा संशोधित, में राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन


उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ संख्यांक 4 और 5 में क्रम संख्या 27 के सामने विद्यमान अभिव्यक्ति,-

vi. कुवारिया	उप तहसील कुवारिया	"
--------------	-------------------	---

को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

vi. कुवारिया	तहसील कुवारिया	"
--------------	----------------	---

(सं. प.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-130)
राज्यपाल के आदेश से,



(आनन्दी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4(ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. पंजीयक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।

9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव